न्यायालयः— अंचल अधिकारी,गाँवा जिला—गिरिडीह

आदेश फलक

आदेश का क्रम सं0 एवं तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित
25-02-25	यह अभिलेख राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा नगवाँ थाना नं0—280, खाता नं0— 135, प्लॉट नं0—1355 रकवा— 0.12 एकड रैयती खाते की भूमि है। जो आवेदक के पत्नी बीबी हसीना बानु के नाम से केवाला द्वारा प्राप्त है एवं लगान रसीद निर्गत है। आवेदक का आरोप है कि उक्त भूमि पर उनके पूत्रों द्वारा ईंट का बाउण्ड्री दे दिया गयां। स्थानीय जाँच के क्रम में ग्रामिणों द्वारा बताया गया कि द्वितीय पक्ष मो0 इद्रीश मियाँ पिता— जुमाई मियाँ एवं उनके लडको के जमीन पर पेड था। उक्त भूमि इद्रीश मियाँ के माँ के नाम से केवाला द्वारा हासिल है। कागजात प्रस्तुत नही किया गया। उक्त मामला रैयती खाते से संबंधित है। अतः प्रश्नगत वाद का मामला माननीय सक्षम न्यायालय में ही निपटारा संभव प्रतीत होता है। अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाती है। लेखापित एवं संशोधित [signature] 25-02-25 अंचल अधिकारी गावाँ [signature] 25-02-25 अंचल अधिकारी गावाँ।	

Digitally signed by AVINASH RANJAN
Date: 2025.02.28 12:51:10 +05:30
Location: 192.168.227.81